शोध–धारा, दलित विशेषांक, दिसम्बर २००५, पृष्ठ ३२–३४

दलित समाज की दशा और दिशा

- डॉ० नगमा खान *

समाज और व्यक्ति के बीच गहरा संबंध होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक मान्याताओं और रीति रिवाजों से प्रभावित होता है। समाज यदि स्वस्थ्य है, उनकी परम्पराएं स्वस्थ है तो व्यक्ति का विकास भी उसी के अनुरूप होगा। आधुनिक समय में सामाजिक मान्यताओं के बंधन ढीले हुए हैं शिक्षा ने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा की है। जिससे समाज की मान्यताओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। हिन्दू समाज भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन सवाल यह उठता हैं कि क्या आधुनिक समाज की मानसिक सोच में आए परिवर्तन से जाति व्यवस्था कमजोर हुई है ?

यदि आज से ६०–७० वर्ष पूर्व में दलित समाज पर दृष्टि डालें तो डा. अम्बेडकर के अनेक अनुभव सामने आते हैं। यह वक्त का तकाजा है कि भारत के संविधान निर्माता डा. बी.आर. अम्बेडकर के महाप्रयाण के पचास वर्ष बाद भी देश में दलित चिंतन पर विचार करना आवश्यक हो गया है। अम्बेडकर दलितों के मसीहा माने जाते थे। १९३५ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी था कि हिन्दू ध र्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था लेकिन मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा ।[1] अन्ततः अम्बेडकर के लिए समय का ऐसा पड़ाव १४ अक्टूबर १९५६ को आया जब उन्होंने दलित और निचले तबके के पांच लाख अनुयायिओं के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना ने देश में लंबे समय से शोषित वर्ग के मन में अपनी हिन्दू पहचान को खुशी से उतार फेंकने का एक निरंतर सिलसिला शुरू कर दिया।

न जाने क्यों हम अपने बहिष्कृत समाज के इस महान नेता की मार्मिक पीड़ा को समझ नहीं पाए हैं ? वहां जहां से अम्बेडकर ने छोड़ा था उसी बिखरी स्थिति की दशा और दिशा पर चिन्तन करने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज में कुछ वर्ष पहले उड़ीसा के कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले पादरी ग्राहम स्टेंस की उनके दो मासूम बच्चों सहित जब जलाकर हत्या कर दी गयी थी, तो उनके खिलाफ किसी व्यक्ति की यह शिकायत दर्ज नहीं थी कि उन्होंने किसी का जबरन धर्म–परिवर्तन कराया है। इस सच्चाई के बावजूद उस जघन्य हत्याकाण्ड की निंदा करने के बजाय धर्मान्तरण पर बहस का शिगूफा छोड़ दिया गया। तभी से धर्मान्तरण का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद १५ खण्ड (१) कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।[2] साथ ही भारतीय संविधान में देश के किसी भी नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है। अगर जबरन लालच देकर या कपटपूर्ण तरीकों से कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

जहां तक भारत का सवाल है यहां धर्मान्तरण करने वालों में बड़ी संख्या दलितों और आदिवासियों की रही है।[3] भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था में ये समूह हमेशा बिरादरी के बाहर रंहे

---

* २०, तिलक नगर, उरई (जालौन), उ०प्र०